(16)

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 36—तीन/2007—विरूद्ध आदेश दिनांक 26—12—2006 — पारित व्दारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा — प्रकरण कमांक 80/2004—05 अपील

1— सीताराम साहू 2— लछमन साहू
3— रामाधार साहू 4— संतलाल साहूल
5— सुरेश कुमार साहू पुत्रगण रामाधार साहू
सभी निवासी ग्राम कटौली तहसील सिंगरोली
जिला सीधी , मध्य प्रदेश । ——अपीलार्थी

विरूद्व

1— बेचन साहू 2— गजउ साहू 3— मोतीलाल साहू
पुत्रगण सुग्रीव साहू
4— जीतलाल साहू 5— छोटेलाल साहू पुत्र बबई साहू
सभी निवासी सा.कटौली तहसील सिंगरोली जिला सीधी —— रिस्पाण्डेन्टस

(अपीलार्थी के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(रिस्पा. के अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 4 – 10—2017 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा मध्य प्रदेश के प्रकरण कमांक 80/2004—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—12—2006 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है ।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि रिस्पा. 1 से 3 ने अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी के समक्ष म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन देकर बताया कि ग्राम कटौली की आराजी के पुराने नंबर 814, 825 है जिसके बंदोवस्त के वाद नये नंबर 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2125 बनाये गये है जिसमें उनका सर्वे नंबकर 814/2 से नया नंबर 216, 2120, 2121 तथा 844 से नया नंबर 2118, 2119 बनाये गये है जिसमें मौके की भूमि के अनुपात में नक्शा नहीं बनाया है इसलिये पुराने नक्शे के आधार पर नये नक्शे की आकृतितयों में सुधार किया जावे। अपर कलेक्टर बैढन ने प्रकरण कमांक 258/2003-04 पँजीबद्व किया तथा जॉच एंव सुनवाई करके आदेश दिनांक 30-9-2004 पारित किया तथा उक्तांकित भूमि के नक्शे में सुधार करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अपीलार्थी एंव रिस्पा. कमांक 4, 5 ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के यहॉ अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 80/2004-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 26-12-2006 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ पूर्व पेशी पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुनना चाहे, उन्होंने निगरानी मेमो के तथ्यों एंव अभिलेख के आधार पर निर्णय किये जाने की मॅशा जाहिर की। उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि रिस्पा. 1 से 3 ने म0प्र0भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 107 के अंतर्गत आवेदन देकर अपर कलेक्टर बैढ़न जिला सीधी से मांग की है कि ग्राम कटौली की आराजी के पुराने नंबर 814, 825 है जिसके बंदोवस्त के वाद नये नंबर 2116, 2118, 2119, 2120, 2121, 2125 बनाये गये है जिसमें उनका सर्वे नंबकर 814/2 से नया नंबर 216, 2120, 2121 तथा 844 से नया नंबर 2118 , 2119 बनाये गये है जिसमें मौके पर भूमि के अनुपात में नक्शा

नहीं बनाया है तद्नुसार नक्शा सुधार कराया जाय। अपर कलेक्टर बैढ़न ने रिस्पा. 1 से 3 के आवेदन को पुराने तथा नये नक्शे की स्थिति जॉचने के लिये नायव तहसीलदार सिंगरोली को मौके पर भेजा है मौके की जॉच राजस्व निरीक्षक अमिलिया ने की है एंव पुराने तथा नये नक्शे का मिलान किया है एंव स्थल पर भूमि की स्थिति के मान से नायव तहसीलदार सिंगरोली ने प्रतिवेदन दिया है जिसका **Speaking** विवरण अपर कलेक्टर बैढ़न के आदेश दिनांक 30—9—2005 के पैरा 3 के सव पैरा (1), (2), (3) में विवेचित है तद्नुसार ही अपर कलेक्टर बैढ़न ने मौके पर उपलब्ध रकबे के मान से एंव पुराने रकबे में उक्त सर्वे नंबरान की बनी आकृति अनुसार बंदोवस्त के वाद नवनिर्मित नक्शे में सुधार का निर्णय दिया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति न पाने से अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा ने प्रकरण कमांक 80/2004—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—12—2006 में अपर कलेक्टर बैढ़न के आदेश दिनांक 30—9—2005 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 26—12—2006 में किसी प्रकार की विसंगति नहीं है।

5/　　उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 80/2004—05 अपील में पारित आदेश दिनांक 26—12—2006 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम.एस.अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर